बीस रुपये TWENTY RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

(91)

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2015

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, केम्प–इन्दौर

निग/3660-PBR-15

आनन्दराम पिता कालू, जाति – अहीर
उम्र – 70 वर्ष, धंधा – खेती
निवासी – मछलगाँव, तह. – भीकनगाँव,
जिला – खरगोन ...प्रार्थी

विरूद्ध

1. भगवान पिता चुन्नीलाल पटेल
2. मिश्रीलाल पिता रूखडू यादव
3. सुभाष पिता रामलाल अहीर
4. प्रेमलाल पिता छितर अहीर
5. मुकेश पिता दवलत राजपूत
6. केशरीलाल पिता रूखडू अहीर
7. काशीराम पिता बाबू अहीर
8. अरूण पिता सुभाष अहीर
9. अमरसिंह पिता दवलत राजपूत

सभी निवासी– ग्राम मछलगाँव, तह.–भीकनगांव
जिला – खरगोन ...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय भीकनगाँव द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 442/बी–121/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14/09/2015 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

1. यह कि, प्रतिप्रार्थीगण ने श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि, ग्राम मछलगाँव, तह. भीकनगाँव के स्थाई निवासी होकर हमारे ग्राम मछलगाँव से पिपरी के लिए एक मार्ग वर्ष 1966–67 से रहा होकर उक्त रास्ते ग्राम के

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 3660-पीबीआर/2015 जिला खरगोन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से श्री वी0के0गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	